National Research Journal of Business Economics
Volume No: 13, Issue No: 1, Year: 2026 (January-June)
PP: 453-464
ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

ग्रामीण बिहार में घरेलू ऋणग्रस्तता: मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले का एक अर्थमितीय अध्ययन

मधु कुमारी

शोधार्थी

विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग, बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुज़फ़्फ़रपुर

डॉ. श्रुति मिश्रा

सहायक प्रोफेस, अर्थशास्त्र विभाग, राम दयालु सिंह कॉलेज, बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुज़फ़्फ़रपुर

सारांश

यह अध्ययन बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले में ग्रामीण परिवारों की ऋणग्रस्तता और उसके सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का भी अध्ययन करता है। इसका सैद्धांतिक आधार स्टिग्लिट्ज़ और वीस का साख राशनिंग सिद्धांत तथा भादुड़ी का अर्ध-सामंती अंतर्संबद्ध बाज़ार विश्लेषण है। वर्ष 2024-25 में मुशहरी, कांटी और गायघाट प्रखंडों के 300 ग्रामीण परिवारों से संरचित साक्षात्कार के द्वारा आँकड़े एकत्रित किये गए हैं। तीनो प्रखंड उद्देश्यपूर्ण चुने गए, जबकि परिवारों का चयन भू-स्वामित्व और सामाजिक वर्ग के आधार पर स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन से हुआ हैं। जिस परिवार पर ₹1,000 से अधिक ऋण बकाया था, उसे ऋणग्रस्त माना गया। राष्ट्रीय संदर्भ के लिए NSS 77वें दौर के अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण का उपयोग हुआ हैं। विश्लेषण में वर्णनात्मक सांख्यिकी और 11 स्वतंत्र चरों वाला द्विआधारी लॉजिस्टिक समाश्रयण अपनाया गया हैं। नमूने के 70.3% परिवार ऋणग्रस्त थे। प्रखंडवार यह अनुपात मुशहरी में 68%, कांटी में 64% और गायघाट में 79% रहा, किंतु प्रखंडों के बीच यह अंतर सार्थक नहीं है। प्रति परिवार औसत बकाया ऋण ₹66,467 है। सामान्य वर्ग के परिवारों के ऋण में बैंकों का हिस्सा 74% है, जबकि अनुसूचित जाति परिवारों में केवल 20%। SC और EBC परिवार अपने ऋण का 40% से 48% साहूकारों और महाजनों से लेते हैं, जहाँ वार्षिक ब्याज दर 36% से 60% तक है। अन्य चरों को स्थिर रखने पर, भूमिहीन परिवारों के ऋणग्रस्त होने के ऑड्स भू-स्वामी परिवारों की तुलना में 3.65 गुना, अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों के लिए 3.12 गुना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग परिवारों के लिए 2.45 गुना और अचानक भारी स्वास्थ्य व्यय झेलने वाले परिवारों के लिए 2.88 गुना पाए गए हैं। गैर-कृषि आय और कर्ज़ का गणितीय विश्लेषण ऋणग्रस्तता से नकारात्मक रूप से जुड़े हैं। आँकड़े एक ही समय-बिंदु के होने के कारण परिणाम सहसंबंध दिखाते हैं, कारण-संबंध का प्रमाण नहीं। अध्ययन का निष्कर्ष है कि वित्तीय समावेशन का अर्थ केवल बैंक खाता खोलना नहीं, बल्कि बिना जमानत के ऋण, आपदा बीमा और स्वास्थ्य बीमा की उपलब्धता भी है।

JEL वर्गीकरण कोड: D14, G51, Q14, O16

कुट शब्द: घरेलू ऋणग्रस्तता, सामाजिक-आर्थिक असमानता, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, साख राशनिंग, साहूकारी ऋण बाज़ार, मुज़फ़्फ़रपुर

प्रस्तावना एवं समस्या का विवरण

सैद्धांतिक पृष्ठभूमि एवं अध्ययन की प्रेरणा

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ग्रामीण साख बाज़ार निवेश, आय-वृद्धि और ग़रीबी न्यूनतम करने में अहम भूमिका निभाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र मानता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाज़ार में पूँजी वहीं पहुँचती

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

है जहाँ उसकी उत्पादकता सबसे अधिक होती है। परंतु ग्रामीण ऋण बाज़ार में ऋण लेने वाले और देने वाले के पास समान जानकारी नहीं होती हैं। इससे प्रतिकूल और नैतिक जोखिम की समस्या पैदा होती है। स्टिग्लिट्ज़ और वीस [1] ने दिखाया कि ऐसी स्थिति में ब्याज दर बढ़ाने से बैंक का जोखिम भी बढ़ जाता है, इसलिए बैंक माँग होने पर भी ऋण की मात्रा सीमित रखते हैं। इसे साख राशनिंग कहा जाता है।[2] जिन छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों के पास गिरवी रखने के लिए संपत्ति नहीं होती, और उन्हें बैंक से ऋण नहीं मिल पाते और साहूकारों, महाजनों तथा बिचौलियों से ऊँची ब्याज दर पर ऋण लेने को मजबूर होते हैं।

बिहार के आर्थिक इतिहास में वर्ष 2000 एक बड़ा मोड़ था। 15 नवंबर 2000 को राज्य के पुनर्गठन से अधिकांश खनिज-बहुल क्षेत्र और बड़े उद्योग झारखंड में चले गए। इसके बाद बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः खेती पर निर्भर रह गई, जहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक (जनगणना 2011 के अनुसार 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, राज्यों में सर्वाधिक [4]) और उद्योगों का आधार छोटा है। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्यों पर 9.2% बढ़ा (बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 [5]), फिर भी राज्य की प्रति व्यक्ति आय देश के राज्यों में सबसे कम स्तर पर है (2023-24 में चालू मूल्यों पर ₹66,828)। अर्थात् राज्य-स्तर की तेज़ वृद्धि का लाभ ग्रामीण परिवारों की आय और आर्थिक सुरक्षा तक पूरी तरह नहीं पहुँचा है।

राज्य की एक बड़ी संरचनात्मक कमज़ोरी इसका कम साख-जमा अनुपात है। यह अनुपात बताता है कि बैंकों में जमा हर सौ रुपये में से कितना उसी क्षेत्र में ऋण के रूप में दिया गया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के आँकड़ों के अनुसार बिहार में यह अनुपात मार्च 2020 में 43.0% था और मार्च 2025 में बढ़कर 59.0% हुआ, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 82% है (ETV Bharat [6])। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में यह अनुपात 56.3% बताया गया है। इसका अर्थ है कि सुधार के बावजूद राज्य में जमा बचत का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय ऋण के रूप में वापस नहीं लौटता, और ग्रामीण परिवारों के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहने की आशंका बनी रहती है।

मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले की क्षेत्रीय एवं पारिस्थितिक पृष्ठभूमि

यह अध्ययन उत्तर बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले पर केंद्रित है। तिरहुत प्रमंडल में स्थित इस ज़िले का क्षेत्रफल लगभग 3,173 वर्ग किमी है और इसमें 16 प्रखंड हैं। जनगणना 2011 [4] के अनुसार इसकी जनसंख्या लगभग 48 लाख और जनसंख्या घनत्व लगभग 1,514 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। एक ओर यह ज़िला उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, शाही लीची, आम, सब्ज़ी और मक्का के उत्पादन तथा व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। दूसरी ओर गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और लखनदेई नदियों के कारण यहाँ बार-बार बाढ़ और जलजमाव होता है। बिहार में जोतें बहुत छोटी हैं (कृषि गणना 2015-16 [7] के अनुसार औसत जोत का आकार केवल 0.39 हेक्टेयर), और कई परिवार भूमिहीन हैं तथा खेतिहर मज़दूरी पर निर्भर रहते हैं। इससे परिवारों की आय की सुरक्षा कमज़ोर रहती है।

समस्या का विवरण, शोध प्रश्न एवं परिकल्पनाएँ

मूल समस्या यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC, 1998), प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY, 2014), मुद्रा योजना (2015) और जीविका (2006) जैसे कार्यक्रमों के बावजूद ग्रामीण बिहार में ऋणग्रस्तता आज भी व्यापक है। कम आय वाले परिवारों में ऋण का उपयोग अक्सर पूँजी बनाने के बजाय जीवन चलाने और बीमारी जैसे अचानक आए खर्चों के लिए होता है। इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि ऋणग्रस्तता के मुख्य कारण और भविष्यवक्ता क्या हैं।

मूल शोध प्रश्न: पहला, मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले के ग्रामीण परिवारों में ऋणग्रस्तता का विस्तार और औसत ऋण का आकार कितना है, और चुने गए तीनों प्रखंडों के बीच इसमें क्या अंतर है? दूसरा, अलग-अलग सामाजिक वर्गों तथा भूमि-स्वामित्व वाले वर्गों के बीच ऋण के स्रोतों में क्या अंतर है? तीसरा, ऋणग्रस्त होने की संभावना को तय करने वाले मुख्य सामाजिक-आर्थिक और प्राकृतिक कारक कौन-कौन से हैं?

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

अनुसंधान परिकल्पनाएँ:

शोध प्रश्न 3 के परीक्षण के लिए तीन शून्य परिकल्पनाएँ बनाई गई हैं। पहली परिकल्पना (H01) यह है कि जाति और भूमि-धारण के आधार पर अलग-अलग परिवारों के ऋणग्रस्त होने के ऑड्स में कोई सार्थक अंतर नहीं है। दूसरी परिकल्पना (H02) यह है कि परिवार की आय, मुखिया की शिक्षा, आश्रितता तथा स्वास्थ्य संकट और बाढ़ जैसे अचानक आए आपदाएँ का ऋणग्रस्त होने की संभावना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हैं। तीसरी परिकल्पना (H03) यह है कि संस्थागत बैंक सुविधा तक पहुँच और गैर-कृषि आय का ऋणग्रस्त होने की संभावना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हैं।

साहित्य की समीक्षा एवं वैचारिक रूपरेखा

प्रमुख सिद्धांतों एवं पूर्व अध्ययनों की समीक्षा

ग्रामीण साख और ऋणग्रस्तता पर अर्थशास्त्र में काफ़ी लिखा गया है। अमित भादुड़ी [2] ने पूर्वी भारत की खेती का विश्लेषण करते हुए 'अर्ध-सामंती पिछड़ापन' का सिद्धांत दिया और उनके अनुसार जब भू-स्वामी ही साहूकार भी होता है, तो वह बटाईदार किसान को ऊँची दर पर ऋण देकर उसे ऋण में बाँधे रखता है। उसका उद्देश्य केवल ब्याज कमाना नहीं, बल्कि किसान की उपज और श्रम पर नियंत्रण बनाए रखना होता है। ऐसी अंतर्संबंधित बाज़ार व्यवस्था में भू-स्वामी के लिए नई तकनीक अपनाने की प्रेरणा कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि इससे किसान की उस पर निर्भरता घट सकती है।

प्रणब बर्धन [8] के द्वारा समझाया गया कि भूमि, श्रम, ऋण और उपज के बाज़ार एक-दूसरे से जुड़े होने पर किसानों की सौदेबाज़ी की ताक़त कैसे घट जाती है। कौशिक बसु [9] ने दिखाया कि पिछड़ी खेती में अनौपचारिक ऋणदाता की ऊँची ब्याज दरों के पीछे जोखिम, सीमित प्रतिस्पर्धा और किसान के पास विकल्पों की कमी जैसे कारण होते हैं। यही कारण है कि साहूकार बिना जमानत के तुरंत ऋण दे देते हैं, परंतु उसकी कीमत ऊँची ब्याज दर के रूप में वसूलते हैं। इस अध्ययन के क्षेत्र में साहूकारों की ब्याज दर 36% से 60% वार्षिक तक पाई गई हैं।

बिहार पर हुए सर्वेक्षण-आधारित अध्ययनों में घनश्याम पांडेय [10], [11] ने चार ज़िलों के 528 कृषक परिवारों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि लगभग आधे परिवार ऋणग्रस्त थे और लिए गए कुल ऋण का लगभग 31% उपभोग, स्वास्थ्य तथा सामाजिक-धार्मिक आयोजनों जैसे अनुत्पादक कार्यों में लगा। भूमिहीन परिवारों में ग़रीबी लगभग 81% थी और उनका ऋण-परिसंपत्ति अनुपात सबसे अधिक (21.3) था। ग़रीबी के लॉजिट विश्लेषण से पता चला कि कम शिक्षा, अधिक आश्रितता, बटाई पर खेती और बाढ़ का सामना करने से ग़रीबी की संभावना बढ़ती है।

सिंह, भोगल और सिंह [12] ने पंजाब के किसानों के अध्ययन में पाया कि शिक्षा का स्तर, गैर-कृषि आय, खेत का आकार और गैर-संस्थागत ऋण ऋणग्रस्तता से जुड़े मुख्य कारक हैं। उन्होंने यह भी बताया कि संस्थागत ऋण पाने में आने वाली बाधाएँ किसानों को गैर-संस्थागत ऋणदाताओं की ओर धकेलती हैं।

जाति और साख के संबंध पर थोराट और न्यूमैन [13] का संपादित अध्ययन बताता है कि दलित समुदायों को भूमि के अलावा पूँजी-परिसंपत्तियों, सेवाओं और उत्पादन के आगतों के बाज़ारों में भी भेदभाव और बहिष्करण का सामना करना पड़ता है। भूमि के अभाव और सामाजिक पूर्वाग्रह के कारण ऐसे परिवारों के लिए औपचारिक संस्थाओं तक पहुँचना कठिन हो सकता है।

उपमन्यु दत्ता [14] ने बिहार में जीविका परियोजना के आर्थिक-सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन किया। उन्होंने पाया कि स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़े परिवारों पर ऊँची ब्याज दर वाले ऋण का बोझ कम रहा और सस्ते ऋण का उपयोग उत्पादक कार्यों तथा पुराने ऋण घटाने में अधिक हुआ। यह निष्कर्ष बताता है कि समूह-आधारित सस्ता ऋण साहूकारी ऋण का विकल्प बन सकता है।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

इन अध्ययनों से स्पष्ट है कि ऋणग्रस्तता का संबंध भूमि, शिक्षा, आय के स्रोत और संस्थागत ऋण तक पहुँच से है। हमारी जानकारी में मुज़फ़्फ़रपुर जैसे बाढ़-प्रभावित उत्तर बिहार के ज़िले में जाति, भूमि-स्वामित्व, स्वास्थ्य के आपदाएँ और बाढ़ को एक साथ रखते हुए ऋणग्रस्तता के अध्ययन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है और यह शोध-पत्र इसी कमी को भरने का प्रयास करता है।

वैचारिक रूपरेखा

अध्ययन की वैचारिक रूपरेखा मिल्टन फ्रीडमैन की स्थायी आय परिकल्पना [15] और ग्रामीण साख बाज़ार की संरचनात्मक-संस्थागत व्याख्या पर आधारित है। आदर्श स्थिति में परिवार अपनी आय के अस्थायी उतार-चढ़ाव को संतुलित करने के लिए उधार लेते हैं, ताकि उनका उपभोग स्थिर रहे। परंतु बिहार जैसी अर्थव्यवस्था में तीन बाधाएँ काम करती हैं। पहली बाधा संपार्श्विक की है, क्योंकि भूमिहीनता या बिना कागज़ात की बटाईदारी के कारण बैंक ऋण देने से मना कर देती हैं। दूसरी बाधा बाहरी आपदाएँ की संवेदनशीलता है, क्योंकि बाढ़ से फसल की बर्बादी और बीमारी के इलाज पर अचानक नक़द खर्च तुरंत ऋण की माँग पैदा करते हैं। तीसरी बाधा बाज़ार का बँटा होना है, जिसके कारण औपचारिक ऋण से वंचित परिवार संकट के समय साहूकारों से ऊँची ब्याज दर पर ऋण लेते हैं। इससे उनकी बचत और आय घटती है और वे ग़रीबी के चक्र में फँस जाते हैं।

शोध पद्धति एवं विश्लेषणात्मक ढाँचा

अर्थमितीय मॉडल

ऋणग्रस्तता के कारणों की पहचान के लिए द्विचर प्रतिक्रिया मॉडल बनाया गया है, क्योंकि आश्रित चर में केवल दो स्थितियाँ हैं: परिवार ऋणग्रस्त है या नहीं। ऐसे चर पर साधारण न्यूनतम वर्ग विधि लगाने से रैखिक प्रायिकता मॉडल बनता है, जिसमें अनुमानित प्रायिकता 0 और 1 के बाहर जा सकती है तथा त्रुटियों का फैलाव समान नहीं रहता । इसलिए संचयी लॉजिस्टिक वितरण पर आधारित बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का प्रयोग किया गया है:

समीकरण (1): बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल

मान लीजिए Y_i एक द्विआधारी आश्रित चर है:

$Y_i = 1$, यदि परिवार i ऋणग्रस्त है (ऋण बकाया > ₹1,000)

$Y_i = 0$, यदि परिवार i ऋणमुक्त है।

लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल का गणितीय विनिर्देश निम्नवत है:

$$P_i = Pr\ Pr\ (Y_i = 1 \mid X_i) = \frac{1}{1+e^{-Z_i}} = \frac{e^{Z_i}}{1+e^{Z_i}}$$

जहाँ Z_i एक रैखिक सूचकांक फलन है:

$$Z_i = \beta_0 + \beta_1(\text{LANDLESS}) + \beta_2(\text{SC_ST}) + \beta_3(\text{EBC}) + \beta_4(\text{OBC}) + \beta_5(\text{LN_INCOME}) + \beta_6(\text{DEP_RATIO}) + \beta_7(\text{ILLITERACY}) + \beta_8(\text{HEALTH_SHOCK}) + \beta_9(\text{FLOOD_SHOCK}) + \beta_{10}(\text{NON_FARM}) + \beta_{11}(\text{BANK_ACCESS}) + \varepsilon_i$$

लॉग-ऑड्स अनुपात रूप में समीकरण:

$$ln\ ln\left[\frac{P_i}{1-P_i}\right] = \beta_0 + \sum_{k=1}^{11} \beta_k X_{ki} + \varepsilon_i$$

मॉडल का गुणांक β_k यह बताता है कि स्वतंत्र चर में एक इकाई के बदलाव पर ऋणग्रस्त होने के लॉग-ऑड्स में कितना बदलाव होता है। इसे सरल रूप में समझने के लिए ऑड्स अनुपात (Odds Ratio

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

= $e^{(\beta k)}$) और औसत सीमांत प्रभाव (Average Marginal Effect, dy/dx) निकाले गए हैं। ऑड्स अनुपात 1 से अधिक हो तो ऋणग्रस्त होने के ऑड्स बढ़ते हैं और 1 से कम हो तो घटते हैं। औसत सीमांत प्रभाव बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर ऋणग्रस्त होने की प्रायिकता कितने प्रतिशत अंक बदलती है।

समंक स्रोत एवं प्रतिचयन विधि

यह अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों पर आधारित है। द्वितीयक आँकड़ों में तुलना के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण 2019 (NSS 77वाँ दौर, रिपोर्ट सं. 588 [3]), जनगणना 2011 [4] , कृषि गणना 2015-16 [7] , राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के साख-जमा आँकड़े तथा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 [5] का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़े वर्ष (2024-25) में बहु-स्तरीय स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन द्वारा जुटाए गए। पहले चरण में ज़िले के 16 प्रखंडों में से कृषि-पारिस्थितिकी की विविधता और शहरी-ग्रामीण संबंध के आधार पर तीन प्रखंडों का उद्देश्यपूर्ण चयन किया गया। इनमें पहला मुशहरी प्रखंड है, जो ज़िला मुख्यालय के पास का उप-शहरी क्षेत्र है और जहाँ गैर-कृषि रोज़गार तथा सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं की उपस्थिति अपेक्षाकृत अधिक है। दूसरा कांटी प्रखंड है, जो खेती और उद्योग का मिश्रित क्षेत्र है, जहाँ थर्मल पावर स्टेशन स्थित है तथा लीची और मक्का का व्यावसायिक उत्पादन होता है। तीसरा गायघाट प्रखंड है, जो बागमती नदी के क्षेत्र में स्थित होने के कारण बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील है और जहाँ खेतिहर मज़दूर परिवार अधिक हैं तथा बुनियादी ढाँचा कमज़ोर है।

इसके बाद प्रत्येक प्रखंड से 2 ग्राम पंचायतें चुनी गईं (कुल 6 पंचायतें) और प्रत्येक प्रखंड से 100 परिवारों (कुल प्रतिदर्श N = 300) का संरचित प्रश्नावली के माध्यम से आमने-सामने साक्षात्कार किया गया। प्रश्नावली में परिवार की जनसांख्यिकी, जाति, भूमि-स्वामित्व, वार्षिक आय, उपभोग व्यय, ऋण का स्रोत (बैंक या साहूकार), ब्याज दर, जमानत की शर्तें तथा स्वास्थ्य और बाढ़ जैसे आपदाएँ से संबंधित जानकारी ली गई। ऋणग्रस्त परिवार उन्हें माना गया जिन पर ₹1,000 से अधिक का ऋण बकाया था। चूँकि प्रखंडों का चयन उद्देश्यपूर्ण किया गया और हर प्रखंड से समान संख्या में परिवार लिए गए, इसलिए समग्र आँकड़ों को पूरे ज़िले का भारित औसत नहीं माना जाना चाहिए।

तालिका 1: अर्थमितीय मॉडल में प्रयुक्त चरों की परिभाषा एवं अपेक्षित चिह्न

चर का नाम	प्रतीक	चर का प्रकार	मापन की इकाई / श्रेणी	अपेक्षित चिह्न
भूमिहीनता	LANDLESS	डमी	1 यदि भूमिहीन या पट्टेदार; 0 यदि अपनी भूमि का स्वामी	+
अनुसूचित जाति/जनजाति	SC_ST	डमी	1 यदि SC/ST; 0 अन्यथा (संदर्भ: सामान्य वर्ग)	+
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	EBC	डमी	1 यदि EBC; 0 अन्यथा	+
अन्य पिछड़ा वर्ग	OBC	डमी	1 यदि OBC; 0 अन्यथा	+/-
वार्षिक आय (लॉग)	LN_INCOME	सतत	परिवार की कुल वार्षिक आय का प्राकृतिक लॉग	-
आश्रितता अनुपात	DEP_RATIO	सतत	आश्रित सदस्य (0-14 व 60+) / कुल कार्यशील सदस्य	+
मुखिया की निरक्षरता	ILLITERACY	डमी	1 यदि परिवार का मुखिया अशिक्षित; 0 अन्यथा	+

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

स्वास्थ्य व्यय आघात	HEALTH_SHOCK	डमी	1 यदि विगत 2 वर्षों में अप्रत्याशित स्वास्थ्य व्यय > ₹25,000; 0 अन्यथा	+
बाढ़/फसल क्षति	FLOOD_SHOCK	डमी	1 यदि विगत 2 वर्षों में बाढ़ से गंभीर क्षति; 0 अन्यथा	+
गैर-कृषि आय विविधीकरण	NON_FARM	डमी	1 यदि गैर-कृषि व्यवसाय/प्रवास आय > 30%; 0 अन्यथा	-
संस्थागत बैंक पहुंच	BANK_ACCESS	डमी	1 यदि सक्रिय KCC / बैंक ऋण सुविधा उपलब्ध; 0 अन्यथा	-

(टिप्पणी: BANK_ACCESS का अपेक्षित चिह्न (–) माना गया है, परंतु आश्रित चर में बैंक ऋण भी शामिल है)

परिणाम, अनुभवजन्य विश्लेषण एवं विवेचना

प्रतिदर्श परिवारों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा

सर्वेक्षण के 300 परिवारों में से 38% भूमिहीन हैं और 44% सीमांत (1 हेक्टेयर से कम) किसान हैं। केवल 18% परिवारों के पास 1 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि है। इससे पता चलता है कि अध्ययन क्षेत्र में भूमि और आय का वितरण असमान प्रतीत होता है। सामाजिक संरचना की दृष्टि से प्रतिदर्श में SC/ST परिवार 27.3% और EBC परिवार 32.7% हैं, जबकि बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण [5] में राज्य की आबादी में SC 19.65%, ST 1.68% और EBC 36.01% हैं। अर्थात् प्रतिदर्श में अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों का हिस्सा राज्य की तुलना में अधिक है।

तालिका 2: अध्ययन प्रखंडों का सामाजिक-आर्थिक एवं ऋणग्रस्तता प्रोफ़ाइल

सामाजिक-आर्थिक संकेतक	मुशहरी (N=100)	कांटी (N=100)	गायघाट (N=100)	समग्र प्रतिदर्श (N=300)
ऋणग्रस्त परिवारों का प्रतिशत	68.0%	64.0%	79.0%	70.3%
औसत बकाया ऋण प्रति परिवार (₹, सभी परिवारों पर औसत)	₹58,400	₹64,200	₹76,800	₹66,467
भूमिहीन परिवारों का प्रतिशत	35.0%	32.0%	47.0%	38.0%
SC/ST परिवारों का अनुपात	26.0%	22.0%	34.0%	27.3%
EBC परिवारों का अनुपात	32.0%	30.0%	36.0%	32.7%
परिवार की औसत वार्षिक आय (₹)	₹82,400	₹91,200	₹67,500	₹80,367
विगत 2 वर्षों में स्वास्थ्य आघात (% परिवार)	38.0%	34.0%	52.0%	41.3%
बाढ़/जलभराव से प्रभावित परिवार (%)	24.0%	18.0%	68.0%	36.7%

(स्रोत: लेखकों का प्राथमिक सर्वेक्षण और समग्र प्रतिदर्श के आँकड़े तीनों प्रखंडों के सरल औसत हैं।)

तालिका 2 से पता चलता है कि गायघाट प्रखंड में ऋणग्रस्त परिवारों का हिस्सा सबसे अधिक (79%) और औसत बकाया ऋण भी सबसे अधिक (₹76,800) है। इसी प्रखंड में भूमिहीन परिवार (47%), स्वास्थ्य संकट झेलने वाले परिवार (52%) और बाढ़ से प्रभावित परिवार (68%) भी सबसे अधिक हैं,

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

जबकि औसत आय सबसे कम (₹67,500) है। संभवतः यही कारक वहाँ ऊँची ऋणग्रस्तता की व्याख्या करते हैं। मुशहरी में गैर-कृषि रोज़गार और कांटी में व्यावसायिक फसलों के कारण आय का स्तर अपेक्षाकृत बेहतर है। तथापि प्रखंडों के बीच ऋणग्रस्तता के अंतर का काई-वर्ग परीक्षण ($\chi^2(2) = 5.78$, $p = 0.056$) 5% स्तर पर सार्थक नहीं है, केवल 10% स्तर पर सार्थक है; इसलिए इस अंतर पर सावधानी से निष्कर्ष निकालना चाहिए।

राष्ट्रीय तुलना के लिए, अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण 2019 (NSS 77वाँ दौर) के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 35% परिवार ऋणग्रस्त थे, प्रति परिवार औसत ऋण ₹59,748 था और बकाया नक़द ऋण का लगभग 66% संस्थागत स्रोतों से लिया गया था। हमारे प्रतिदर्श में ऋणग्रस्त परिवारों का हिस्सा (70.3%) इससे काफ़ी अधिक है। इसके संभावित कारण हैं: ऋणग्रस्तता की परिभाषा में ₹1,000 से ऊपर का कोई भी बकाया ऋण शामिल है, अध्ययन के प्रखंडों का उद्देश्यपूर्ण चयन (जिनमें एक बाढ़-प्रभावित प्रखंड भी है), तथा सर्वेक्षण-अवधि और संदर्भ अवधि का अंतर। इसलिए ये आँकड़े पूरे बिहार या देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

ऋण के स्रोत एवं ब्याज दरों का द्वैध

हमारे प्रतिदर्श में ग्रामीण ऋण बाज़ार जाति और वर्ग के आधार पर साफ़ बँटा दिखता है। सामान्य वर्ग के परिवारों के कुल ऋण में व्यावसायिक और ग्रामीण बैंकों का हिस्सा 74% है, जबकि अनुसूचित जाति (SC) के परिवारों में यह केवल 20% है। SC और अत्यंत पिछड़े वर्ग के परिवारों के कुल ऋण का 40% से 48% हिस्सा स्थानीय साहूकारों, महाजनों और कृषि-व्यापारियों से लिया गया है। इस प्रकार औपचारिक वित्तीय समावेशन के दावों के बावजूद संस्थागत ऋण तक पहुँच सबके लिए समान नहीं है।

तालिका 3: ऋण स्रोतों की तुलनात्मक विशेषताएँ, ब्याज दरें एवं जमानत की शर्तें

साख स्रोत	वार्षिक ब्याज दर की सीमा (%)	संपार्श्विक आवश्यकता	स्वीकृति अवधि	प्राथमिक उद्देश्य
वाणिज्यिक बैंक (KCC / Term)	7.0% - 11.5%	भूमि दस्तावेज़ (LPC / रजिस्ट्री)	30 से 60 दिन	कृषि निवेश, ट्रैक्टर, बोरवेल
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB / UBGB)	9.0% - 12.5%	भूमि / सरकारी गारंटर	20 से 45 दिन	फसल ऋण, डेयरी, लघु व्यवसाय
जीविका / SHGs (Bank Linkage)	12.0% - 24.0%	सामूहिक सामाजिक गारंटी	7 से 15 दिन	उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, दुकान
माइक्रोफाइनेंस कंपनियां (NBFC-MFI)	22.0% - 26.0%	सामूहिक देयता (JLG)	3 से 7 दिन	आय सृजन, गैर-कृषि व्यवसाय
पारंपरिक साहूकार / महाजन	36.0% - 60.0%	कोई लिखित जमानत नहीं (जान-पहचान व सामाजिक दबाव)	तत्काल (1 दिन)	चिकित्सा आपातकाल, विवाह, उपभोग

(टिप्पणी: बैंकों की दरें KCC एवं सामान्य कृषि ऋण की प्रचलित दर-सीमा हैं। स्वयं सहायता समूह की दर समूह की आंतरिक व्यवस्था के अनुसार बदलती है। साहूकार की दर लगभग 3% से 5% मासिक (36% से 60% वार्षिक) है।)

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

तालिका 3 से स्पष्ट है कि साहूकारों की ब्याज दर (36% से 60%) बैंकों की दर (7% से 12.5%) से लगभग 3 से 9 गुना (मध्य मानों के आधार पर लगभग 5 गुना) अधिक है। फिर भी साहूकार इसलिए चुने जाते हैं कि वे तुरंत और बिना कागज़ात के ऋण दे देते हैं। भूमिहीन और दलित परिवारों के पास भूमि-कब्ज़ा प्रमाण-पत्र (LPC) जैसे दस्तावेज़ नहीं होते, इसलिए बैंक की प्रक्रिया उनके लिए कठिन हो जाती है। इलाज की आपात स्थिति या फसल बर्बाद होने पर उनके पास अक्सर साहूकार ही तुरंत उपलब्ध विकल्प रहता है, और इससे वे लंबे समय तक ऋण के जाल में फँसे रह सकते हैं।

ऋणग्रस्तता के निर्धारक: लॉजिस्टिक रिग्रेशन के परिणाम

ऋणग्रस्त होने की संभावना को प्रभावित करने वाले कारकों को जानने के लिए समीकरण (1) के बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल का अनुमान लगाया गया। परिणाम तालिका 4 में दिए गए हैं। मॉडल का Log-Likelihood −142.36 है। केवल स्थिरांक वाले मॉडल की तुलना में LR χ^2 (11) = 80.09 ($p < 0.0001$) और McFadden Pseudo R^2 = 0.2195 है, जो मॉडल की स्वीकार्य व्याख्यात्मक क्षमता दर्शाता है। होसमर-लेमेशो परीक्षण का p-मान 0.62 है, अर्थात् मॉडल के फ़िट में कोई गंभीर कमी नहीं दिखती हैं।

तालिका 4: ग्रामीण बिहार में घरेलू ऋणग्रस्तता के निर्धारकों का बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन विश्लेषण

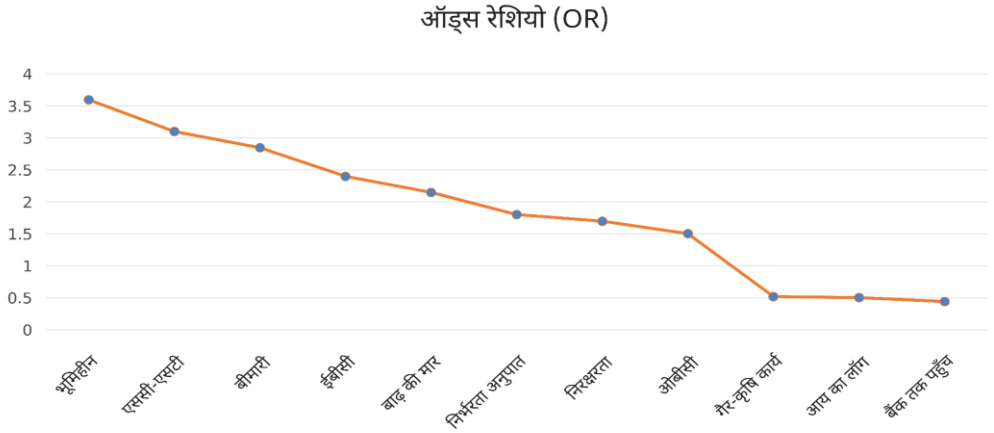
स्वतंत्र चर	गुणांक (β)	मानक त्रुटि (SE)	ऑड्स अनुपात (OR)	95% CI	औसत सीमांत प्रभाव(dy/dx)	z-मान	p-मान
भूमिहीनता	1.2947***	0.2712	3.65	2.15–6.21	0.198	4.77	<0.001
अनुसूचित जाति/जनजाति (SC_ST)	1.1378***	0.2405	3.12	1.95–5.00	0.174	4.73	<0.001
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)	0.8961***	0.2435	2.45	1.52–3.95	0.137	3.68	<0.001
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	0.4122*	0.2454	1.51	0.93–2.44	0.063	1.68	0.093
वार्षिक आय का लॉग	-0.6841***	0.1652	0.5	0.36–0.70	-0.105	-4.14	<0.001
आश्रितता अनुपात	0.5653**	0.2317	1.76	1.12–2.77	0.086	2.44	0.015
परिवार मुखिया की निरक्षरता	0.5188**	0.2246	1.68	1.08–2.61	0.079	2.31	0.021
स्वास्थ्य व्यय आघात	1.0578***	0.2351	2.88	1.82–4.57	0.162	4.5	<0.001
बाढ़/फसल क्षति	0.7608***	0.2285	2.14	1.37–3.35	0.116	3.33	0.001

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

गैर-कृषि आय विविधीकरण	-0.6539***	0.218	0.52	0.34–0.80	-0.1	-3	0.003
संस्थागत बैंक पहुंच	-0.8210***	0.238	0.44	0.28–0.70	-0.126	-3.45	0.001
स्थिरांक	3.8420**	1.621	-		-	2.37	0.018

(टिप्पणी: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.10। संदर्भ श्रेणियाँ: सामाजिक वर्ग के लिए 'सामान्य वर्ग'; भूमि-धारण के लिए 'अपनी भूमि वाले परिवार'। आश्रित चर: परिवार ऋणग्रस्त है (1) या नहीं (0)। ऑड्स अनुपात = $e^{(\beta)}$। सीमांत प्रभाव प्रतिशत अंक में पढ़े जाएँ (औसत P(1−P) ≈ 0.153) । LN_INCOME का ऑड्स अनुपात लॉग-आय में एक इकाई की वृद्धि के लिए है।)



चित्र 1: ग्रामीण बिहार में घरेलू ऋणग्रस्तता के प्रमुख निर्धारकों के ऑड्स अनुपात (ओड्स अनुपात : OR > 1 (अधिक संभावना), OR < 1 (कम संभावना))

प्रमुख निर्धारकों की आर्थिक व्याख्या

लॉजिस्टिक रिग्रेशन के परिणाम बताते हैं कि शून्य परिकल्पनाएँ H01, H02 और H03 सांख्यिकीय रूप से अस्वीकृत होती हैं (H01 में OBC का गुणांक केवल 10% स्तर पर सार्थक है)। ये परिणाम आपसी संबंध दिखाते हैं, कारण-परिणाम का प्रमाण नहीं। सबसे पहले भूमिहीनता को देखें तो भूमिहीन परिवारों के ऋणग्रस्त होने का ऑड्स अनुपात 3.65 है (p < 0.001), यानी अपनी भूमि वाले परिवारों की तुलना में उनके ऋणग्रस्त होने के ऑड्स 3.65 गुना अधिक हैं। औसत सीमांत प्रभाव 0.198 है, अर्थात् अन्य बातें समान रहने पर भूमिहीनता से ऋणग्रस्त होने की प्रायिकता लगभग 19.8 प्रतिशत अंक बढ़ जाती है।

भूमिहीन परिवारों के पास गिरवी रखने योग्य संपत्ति नहीं होती, इसलिए वे बैंक के बजाय साहूकारों से ऊँची दर पर ऋण लेने को मजबूर होते हैं। जाति और सामाजिक वर्ग के संदर्भ में, सामान्य वर्ग की तुलना में SC/ST परिवारों के ऋणग्रस्त होने का ऑड्स अनुपात 3.12 (p < 0.001) और EBC परिवारों का 2.45 (p < 0.001) है, जबकि OBC का 1.51 केवल 10% स्तर पर सार्थक है (p = 0.093)। आय और भूमि को ध्यान में रखने के बाद भी जातिगत अंतर बने रहना थोराट और न्यूमैन [13] द्वारा बताए गए आर्थिक बहिष्करण के अनुरूप है। संभव है कि इसमें औपचारिक संस्थाओं तक पहुँच की कठिनाइयाँ भी भूमिका निभाती हों, किंतु इसे यह अध्ययन सीधे नहीं माप सकता। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य पर अचानक भारी खर्च ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारकों में से एक है (β = 1.0578, OR = 2.88, p < 0.001)।

औसत सीमांत प्रभाव 0.162 है, यानी ऐसे झटके से ऋणग्रस्त होने की प्रायिकता लगभग 16.2 प्रतिशत अंक बढ़ती है। जब सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएँ पर्याप्त नहीं होतीं, तो परिवार निजी अस्पतालों में

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

अपनी जेब से भुगतान करते हैं और इसके लिए उधार लेते हैं। बाढ़ के झटके की बात करें तो बाढ़ से फसल क्षति का ऑड्स अनुपात 2.14 ($p = 0.001$) है, जो उत्तर बिहार की बाढ़-प्रवण भौगोलिक स्थिति से मेल खाता है। गायघाट जैसे प्रखंडों में खरीफ़ फसल जलमग्न होने पर किसान न केवल लागत गँवा देते हैं, बल्कि अगली रबी बुवाई और रोज़ के खर्च के लिए भी उधार लेने को मजबूर हो सकते हैं। आय और गैर-कृषि आय के संबंध में, लॉग-आय में एक इकाई की वृद्धि (यानी आय का लगभग 2.7 गुना होना) पर ऋणग्रस्त होने के ऑड्स लगभग आधे रह जाते हैं ($OR = 0.50$, $p < 0.001$)। जिन परिवारों की आय का 30% से अधिक हिस्सा गैर-कृषि स्रोतों से आता है, उनमें भी ऑड्स लगभग आधे ($OR = 0.52$, $p = 0.003$) हैं। जिन परिवारों के सदस्य निर्माण, स्थानीय उद्योग या बाहर प्रवास से कमाते हैं, वे खेती के झटके अधिक आसानी से झेल लेते हैं।

अंत में, बैंक सुविधा, आश्रितता और शिक्षा को देखें तो संस्थागत बैंक सुविधा वाले परिवारों में ऋणग्रस्त होने के ऑड्स कम हैं ($OR = 0.44$, $p = 0.001$)। चूँकि आश्रित चर में बैंक ऋण भी शामिल है, यह ऋणात्मक संबंध अप्रत्याशित है और संभवतः उन परिवारों के चयन को दर्शाता है जो बैंक से जुड़े हैं और जिनकी आय अपेक्षाकृत स्थिर है; इसलिए इसे कारण नहीं माना जाना चाहिए (अंतर्जातता)। आश्रितता अनुपात ($OR = 1.76$, $p = 0.015$) और अशिक्षित मुखिया ($OR = 1.68$, $p = 0.021$) ऋणग्रस्तता की संभावना बढ़ाते हैं।

संरचनात्मक बाधाएँ एवं बहु-ऋणग्रस्तता (क्षेत्र-अवलोकन)

सर्वेक्षण के दौरान कुछ परिवारों में यह प्रवृत्ति देखी गई कि वे एक ऋण (स्वयं सहायता समूह, माइक्रोफ़ाइनेंस संस्था या साहूकार) चुकाने के लिए दूसरा ऋण लेते हैं। इसे ऋण पुनर्चक्रण और बहु-ऋणग्रस्तता कहा जा सकता है। यह एक गुणात्मक अवलोकन है और इसका मात्रात्मक परीक्षण इस शोध-पत्र में नहीं किया गया है। हालाँकि दत्ता [14] ने जीविका से जुड़े परिवारों पर महँगे ऋण का बोझ घटता पाया था, इसलिए इस विषय पर आगे विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। यदि स्थानीय स्तर पर आय के उत्पादक अवसर नहीं बढ़ते, तो सस्ता ऋण भी उपभोग और पुराने ऋण की किस्तें चुकाने में खप सकता है।

नीतिगत निहितार्थ एवं अनुशंसाएँ

अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि ग्रामीण ऋणग्रस्तता को केवल बैंकिंग की समस्या नहीं माना जा सकता। यह भूमि और संपत्ति के अभाव, बाढ़ जैसी आपदा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का मिला-जुला परिणाम है। इसलिए कई स्तरों पर कदम उठाने की आवश्यकता है। ये सुझाव इस अध्ययन के परिणामों से निकले संकेत हैं; इन्हें लागू करने से पहले इनकी लागत और व्यवहार्यता का आकलन ज़रूरी है।

सूक्ष्म-स्तरीय सुझाव

बिना जमानत के ऋण और बटाईदार किसानों की पहचान के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक [17] ने 1 जनवरी 2025 से बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख की है। बैंकों और राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका लाभ छोटे किसानों तक पहुँचे। भूमिहीन और बटाईदार किसानों के लिए नीति आयोग के मॉडल भूमि पट्टा अधिनियम [18] की तर्ज़ पर ऋण पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाएँ, ताकि वे भूमि के कागज़ात के बिना भी KCC जैसा संस्थागत ऋण ले सकें। इसके साथ ही इलाज के खर्च से सुरक्षा भी आवश्यक है। आयुष्मान भारत (PM-JAY) में पात्र परिवारों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जाए और पंजीकृत अस्पतालों में कैशलेस इलाज की उपलब्धता बढ़ाई जाए। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ़्त जाँच और दवाओं की उपलब्धता सुधारी जाए, ताकि छोटी बीमारी का खर्च भी परिवारों को साहूकार के पास न ले जाए। इसके अतिरिक्त, जीविका को उत्पादक गतिविधियों से जोड़ना भी ज़रूरी है। स्वयं सहायता समूहों को केवल छोटे ऋण बाँटने तक सीमित न रखकर शाही लीची, मखाना, मक्का प्रसंस्करण और डेयरी जैसी

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

गतिविधियों से जोड़ा जाए तथा उन्हें किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के रूप में विकसित किया जाए, ताकि ऋण से आय बढ़ाने वाले काम खड़े हों।

व्यापक आर्थिक एवं संस्थागत सुधार

साख-जमा अनुपात में सुधार के संबंध में, बिहार का CD अनुपात लगभग 56% से 59% है, जो राष्ट्रीय औसत (लगभग 82%) से काफ़ी कम है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की बैठकों में ज़िलावार चरणबद्ध लक्ष्य तय किए जाएँ और जिन ज़िलों में अनुपात कम है वहाँ ग्रामीण शाखाओं के ऋण-वितरण की नियमित समीक्षा की जाए। इसके साथ ही साहूकारी कानून का प्रभावी पालन भी आवश्यक है। बिहार साहूकारी अधिनियम, 1974 [19] के प्रावधानों का प्रभावी पालन कराया जाए, साहूकारों का पंजीकरण डिजिटल किया जाए और मनमाने ब्याज या ज़बरदस्ती वसूली की शिकायतों के लिए ज़िला स्तर पर सुनवाई की व्यवस्था बने। इसके अतिरिक्त, जलवायु-सहनशील फसल बीमा की व्यवस्था भी ज़रूरी है। गायघाट जैसे बाढ़-प्रवण प्रखंडों में मौसम और उपग्रह आँकड़ों पर आधारित सूचकांक बीमा लागू किया जाए, ताकि बाढ़ से फसल नष्ट होने पर तय समय-सीमा (जैसे 15 दिन) में किसानों के बैंक खातों में सीधे क्षतिपूर्ति पहुँचे।

निष्कर्ष एवं भावी शोध की रूपरेखा

मुख्य निष्कर्ष

बिहार की अर्थव्यवस्था राज्य स्तर पर तेज़ी से बढ़ी है, परंतु मुज़फ़्फ़रपुर के 300 परिवारों का यह अध्ययन दिखाता है कि ग्रामीण परिवार आज भी ऋण के बोझ और बँटे हुए ऋण बाज़ार से जूझ रहे हैं। प्रतिदर्श के 70.3% परिवार ऋणग्रस्त हैं और औसत बकाया ऋण ₹66,467 प्रति परिवार है। ऋणग्रस्त होने की संभावना जाति (SC/ST, EBC), भूमि-स्वामित्व, स्वास्थ्य पर अचानक खर्च और बाढ़ की मार से जुड़ी पाई गई, जबकि ऊँची आय और गैर-कृषि आय इसे घटाती हैं। बैंकों की जमानत संबंधी शर्तें और कम CD अनुपात वंचित परिवारों को साहूकारों की ओर धकेलते हैं। अतः वित्तीय समावेशन का अर्थ केवल बैंक खाता खोलना नहीं, बल्कि बिना जमानत का ऋण, आपदा बीमा और स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना भी है।

अध्ययन की सीमाएँ एवं भावी शोध

इस अध्ययन की कुछ सीमाएँ हैं। पहला, यह एक समय के 300 परिवारों के आँकड़ों (Cross-sectional) पर आधारित है, इसलिए समय के साथ ऋणग्रस्तता में आए बदलाव नहीं देखे जा सके और परिणामों को कारण-परिणाम नहीं माना जा सकता। दूसरा, प्रखंडों का चयन उद्देश्यपूर्ण हुआ और तीनों प्रखंडों से समान संख्या में परिवार लिए गए, इसलिए परिणाम पूरे ज़िले या राज्य के प्रतिनिधि नहीं हैं। तीसरा, अनौपचारिक ऋण की जानकारी में याददाश्त की त्रुटि की संभावना रहती है। चौथा, स्वास्थ्य संकट और बैंक सुविधा जैसे चर मॉडल में अंतर्जात हो सकते हैं, और 300 परिवारों में 11 व्याख्यात्मक चर होने से अनुमानों की सटीकता सीमित है। अंत में, ऋण की मात्रा के निर्धारकों (जैसे टोबिट मॉडल द्वारा) तथा संस्थागत और अनौपचारिक ऋण के अलग-अलग विश्लेषण को इस शोध-पत्र में शामिल नहीं किया गया है। भावी शोध में पैनल आँकड़ों तथा बाढ़ और ऋणग्रस्तता के बीच स्थानिक अर्थमितीय विश्लेषण का उपयोग किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. स्टिग्लिट्ज़, जे. ई., & वाइस, ए. (1981). अपूर्ण सूचना वाले बाज़ारों में ऋण राशनिंग. The American Economic Review, 71(3), 393-410, 1981.
2. A. Bhaduri, "अर्ध-सामंतवाद के अंतर्गत कृषि पिछड़ेपन का एक अध्ययन," The Economic Journal, vol. 83, no. 329, pp. 120-137, 1973.

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

3. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, "अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण 2019: NSS 77वाँ दौर (जनवरी-दिसंबर 2019)," NSS रिपोर्ट सं. 588, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, 2021.
4. भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, "भारत की जनगणना 2011," गृह मंत्रालय, 2011.
5. बिहार सरकार, वित्त विभाग, "बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25," 2025.
6. ETV Bharat, "क्या बिहार का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है? केंद्रीय बजट से पहले राज्य में CD अनुपात पर बहस," ETV Bharat, 22 जनवरी 2026.
7. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, "कृषि गणना 2015-16: परिचालित जोतों की संख्या और क्षेत्रफल पर अखिल भारतीय रिपोर्ट," कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, 2019.
8. P. K. Bardhan, "अंतर्ग्रथित कारक बाज़ार और कृषि विकास: मुद्दों की समीक्षा," Oxford Economic Papers, vol. 32, no. 1, pp. 82-98, 1980.
9. K. Basu, "पिछड़ी कृषि में निहित ब्याज दरें, सूदखोरी और अलगाव," Cambridge Journal of Economics, vol. 8, no. 2, pp. 145-159, 1984.
10. G. Pandey, "पूर्वी भारत के किसानों में ऋणग्रस्तता का विस्तार, परिमाण और निर्धारक तत्व: एक सर्वेक्षण-आधारित अध्ययन," Indian Journal of Agricultural Economics, vol. 71, no. 4, pp. 450-463, 2016.
11. G. Pandey, "बिहार के कृषक परिवारों में ग़रीबी और असमानता से निपटना: सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए निहितार्थ," Agricultural Economics Research Review, vol. 31, Conference Issue, pp. 17-24, 2018.
12. S. Singh, S. Bhogal, and R. Singh, "पंजाब के किसानों में ऋणग्रस्तता का परिमाण और निर्धारक तत्व," Indian Journal of Agricultural Economics, vol. 69, no. 2, 2014.
13. S. Thorat and K. S. Newman, Eds., जाति से बाधित: आधुनिक भारत में आर्थिक भेदभाव. Oxford University Press, 2010.
14. U. Datta, "जीविका के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: बिहार, भारत की एक बड़े पैमाने की स्वयं सहायता समूह परियोजना," World Development, vol. 68, pp. 1-18, 2015.
15. M. Friedman, उपभोग फलन का एक सिद्धांत. Princeton, NJ, USA: Princeton University Press, 1957.
16. बिहार सरकार, "बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण 2022–23 (जाति आधारित गणना)," 2023.
17. भारतीय रिज़र्व बैंक, "विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य," 6 दिसंबर 2024.
18. नीति आयोग, "मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, 2016," 2016.
19. बिहार साहूकारी अधिनियम, 1974.

© Copyright @ Authors